उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-1/2026/85/तीस-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274
लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2026

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28, 65, 96 एवं 211 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से, जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उप धारा (1) के अधीन उससे प्रभावित होने की सम्भाव्यता वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में, आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को संबोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लिखित रूप में आपत्तियां और सुझाव दाखिल किये हों, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ के समक्ष दिनांक 17.02.2026 को 03:00 बजे अपरान्ह में उनके कार्यालय कक्ष संख्या-434 में सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश मोटरयान (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी। (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 2 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998, जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है, में नियम 2 में,:-
	(क) खण्ड (बाईस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- ''**(बाईस-क)**'' "सारथी पोर्टल" का तात्पर्य शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति, कंडक्टर अनुज्ञप्ति जैसी सेवाओं के ऑनलाइन परिदान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के माध्यम से विकसित, संचालित एवं अनुरक्षित पोर्टल से है।
	(ख) खण्ड (सत्ताईस) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- ''**(सत्ताईस-क)**'' "वाहन पोर्टल" का तात्पर्य यानों के रजि स्ट्रीकरण, फिटनेस, परमिट, ट्रेड सर्टिफिकेट, कराधान आदि सेवाओं के ऑनलाइन परिदान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के माध्यम से विकसित, संचालित एवं अनुरक्षित पोर्टल से है।

<table>
<tr><td rowspan="2">नियम 11 का संशोधन</td><td colspan="2">3. उक्त नियमावली में नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td>चालन अनुज्ञप्ति में जन्म तिथि परिवर्तन</td><td>11-क. (1) यदि किसी चालन अनुज्ञप्ति धारक को यह ज्ञात होता है कि उसकी अनुज्ञप्ति में जन्म तिथि गलत अंकित हो गई है, तो वह जन्म तिथि में परिवर्तन हेतु राज्य में, जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
(2) यह आवेदन सारथी पोर्टल पर केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 32 की सारणी के क्रम संख्या 08 पर विनिर्दिष्ट फीस की राशि जमा करते हुए ऑनलाइन किया जाएगा और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को अनिवार्य रूप से सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगाः-
(एक) मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल प्रमाणपत्र; या
(दो) नगर निगम/नगरपालिका/तहसील के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र; या
(तीन) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
टिप्पणी- यदि प्रपत्र 7 में चिप रहित लैमिनेटेड कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड प्रकार का चालन अनुज्ञप्ति जारी किया जाता है, तो रूपये 200 का अतिरिक्त शुल्क प्रभारित किया जायेगा।
11-ख: पहाड़ी क्षेत्रों में यान को चलाने हेतु पृष्ठांकन
किसी वर्ग या अभिवर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारक कोई व्यक्ति जो तत्समय किसी वर्ग या अभिवर्णन के मोटर यान का चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है, जिस राज्य में वह निवास करता है अथवा कारबार चलाता है, किसी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को पहाड़ी क्षेत्र में यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यह आवेदन केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 32 की सारणी के क्रम संख्या 08 पर विनिर्दिष्ट फीस की धनराशि जमा कर विनिर्दिष्ट आवेदन प्रारूप में सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्र में यान चलाने का सक्षमता प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा किसी प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्र या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के माध्यम से ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य संस्था/संगठन से प्राप्त किया जायेगा और आवेदन के साथ सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्र में यान चलाने का ऐसा पृष्ठांकन; पृष्ठांकित किये जाने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु विधिमान्य होगा और इस नियम में उल्लिखित केन्द्र/संस्था/संस्थान द्वारा जारी पुनश्चर्या प्रशिक्षण</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

		प्रमाण पत्र के आधार पर 5 वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए नवीकृत किया जायेगा। टिप्पणी:- यदि प्रपत्र-7 में चिप रहित लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड प्रकार की चालन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, तो 200 रूपये की अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायेगी।

नियम 51 का संशोधन

4. उक्त नियमावली के नियम 51 के उप नियम (2) के परंतुक में-

(क) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(तीन-क). रजिस्ट्रीकरण संख्या का प्रतिधारण:- (एक) यदि किसी यान का स्वामी अपने पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को उसी प्रवर्ग के अपने नये यान पर पोर्ट कराने के प्रयोजन से प्रतिधारण कराना चाहता है, तो उसके द्वारा वाहन पोर्टल पर विनिर्दिष्ट आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन किया जाएगा।

(दो) ऐसे आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को वाहन स्वामी के पक्ष में प्रतिधारित करते हुए पुराने यान का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करेगा और वाहन स्वामी को पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को प्रतिधारित करने हेतु प्रपत्र संख्या-एस0आर0 18-क में प्रतिधारण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(तीन) प्रतिधारण प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि तक के लिए विधिमान्य होगा। प्रतिधारण प्रमाण-पत्र के समाप्त होने की स्थिति में पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को नये यान पर पोर्ट कराने की अनुमति समाप्त हो जाएगी। ऐसे मामले में प्रतिधारण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (चार) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(चार) दोनों यानों के अभिलेखों का रखरखाव और अनुरक्षण ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा।	**(चार)** पोर्ट किये गए/प्रतिधारित किये गए यानों के अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

(ग) खण्ड (सात) में, उप खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) इस नियम के प्रयोजनार्थ "पुराना यान" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत यान से है और "नया यान" का तात्पर्य नये खरीदे गये यान से है।"

5. उक्त नियमावली में नियम 84 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

<table>
<tr><td>नियम 84 का संशोधन</td><td>परमिट के गैर उपयोग की सूचना</td><td>84-क. (1) यदि कोई परमिट धारक अपने यान का उपयोग परमिट विधिमान्यता की अवधि के भीतर किसी अवधि के लिए नहीं करना चाहता है तो वह नियम 125 में विहित फीस के साथ प्रपत्र एस0आर0 32-क में, उपयुक्त परिवहन प्राधिकरण को, जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी थी, आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(2) आवेदक परमिट के गैर उपयोग हेतु आवेदित अवधि के लिए कारण उल्लिखित करते हुए वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेगा।
(3) परमिट के गैर उपयोग की अवधि प्रथमदृष्टया अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए होगी और तत्पश्चात प्रत्येक बार नियम 125 में विहित फीस के साथ प्रपत्र एस0आर0 32-क में वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर तीन माह की दो अवधियों के लिए होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 125 का संशोधन</td><td colspan="2">6. उक्त नियमावली में नियम 125 की सारणी में क्रम संख्या 3 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-
<table><tr><td>“3-क</td><td>परमिट के गैर उपयोग के प्रज्ञापन की सूचना</td><td>270.00</td><td>84-क”</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>प्रपत्र एस0आर0 18-क का बढ़ाया जाना</td><td colspan="2">7. उक्त नियमावली में प्रपत्र एस0आर0-18 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-
प्रपत्र एस0आर0-18-क
[नियम 51 देखिये]
पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या के प्रतिधारण हेतु प्रतिधारण प्रमाण-पत्र

प्रतिधारण (रिटेंशन) के लिए आवेदन संख्या .... दिनांक.................
पुराने यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या ....
यान का प्रवर्ग...
मेक और माडल..
यान स्वामी का नाम..
यान स्वामी का पता..
यान स्वामी का मोबाइल नम्बर.................................
एतद्द्वारा उपर्युक्त वर्णित यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या का प्रतिधारण उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 51 के अधीन किया जाता है। यह प्रतिधारण प्रमाण-पत्र, निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। प्रतिधारण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने की स्थिति में पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या को नये यान पर पोर्ट कराने की अनुमति समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में प्रतिधारण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित पुराने यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम</td></tr>
</table>

http://bhasaradesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td>मुहर
स्थान....................
दिनांक..................</td></tr>
<tr><td>प्रपत्र एस0आर 0 32-क का बढ़ाया जाना</td><td>8- उक्त नियमावली में प्रपत्र एस0आर0-32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

प्रपत्र एस0आर0-32-क
[नियम 84-क देखिये]
परमिट के गैर उपयोग के प्रज्ञापन की सूचना के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,
.... परिवहन प्राधिकरण
....

मैं/हम यान संख्या .... जो .... मार्ग/क्षेत्र के परमिट संख्या .... विधिमान्यता............... से आच्छादित है, के गैर उपयोग के लिए निम्नवत् आवेदन करता हूं/करते हैं।
<u>यान का विवरण</u>
1. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...................
2. यान का प्रवर्ग................................
3. परमिट के लिए गैर उपयोग की अवधि दिनांक........... से दिनांक.......... तक
2- परमिट के गैर उपयोग का कारण ....
3- मैंने/हमने रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा विहित फीस रू........... का संदाय कर दिया है।
4- मैं/हम घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं।
दिनांक..........

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान
.......जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें।</td></tr>
</table>

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1/2026/85(1)/तीस-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 30 जनवरी, 2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-1/2026/85(2)/तीस-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-1/2026/85(3)/तीस-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1/2026/85/XXX-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274, dated 30 January, 2026.

Notification

No. 1/2026/85/ XXX-4-2026/30-4099(099)/36/2025/1895274
Lucknow; Dated: 30 January, 2026

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 28, 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, are hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988 for the information of all persons likely to be affected thereby and with view to invite objections or suggestions in respect thereof;

Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to the Vishesh Sachiv, Parivahan Anubhag-4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow. Only such objections or suggestions as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette shall be taken into consideration;

The persons who file their objections or suggestions in writing may appear before Vishesh Sachiv, Parivahan Anubhag-4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow in his office room no. 434 for hearing on 17.02.2026 at 03:00 PM.

http://shasandesh.up.gov.in

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement	1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty Second Amendment) Rules, 2026. (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

<table>
<tr><td rowspan="3">Amendment of rule 2</td><td colspan="2">2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the “said rules”, in rule 2,-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(a) after clause (xxii), the following clause shall be inserted, namely:-
“(xxii-a) “SARATHI Portal” means the portal developed, operated and maintained by the Government of India through National Informatics Centre (NIC) for online delivery of services like Learner License, Driving License and Conductor License etc.;”</td></tr>
<tr><td colspan="2">(b) after clause (xxvii), the following clause shall be inserted, namely:-
“(xxvii-a) “VAHAN Portal” means the portal developed, operated and maintained by the Government of India through National Informatics Centre (NIC) for online delivery of services like registration, fitness, permit, trade certificate, taxation of vehicles etc.;”</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Amendment of rule 11</td><td colspan="2">3. In the said rules, after rule 11, the following rules shall be inserted, namely:-</td></tr>
<tr><td>“Change of Date of Birth in Driving Licence</td><td>11-A. (1) If a driving licence holder finds that his date of birth is wrongly mentioned in his licence, he may apply for change of date of birth to any licensing authority in the State, in which he resides or carries on his business.
(2) This application will be submitted online on the Sarathi portal by depositing the amount of fee specified at serial no. 08 of the table to rule 32 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and any one of the following documents for proof of date of birth will be mandatorily uploaded on the Sarathi portal:-
(i) High School Certificate issued by a recognized Board; or
(ii) Birth Certificate issued by the competent authority of the</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

		Municipal Corporation/Municipality/Tehsil; or (iii) Birth certificate issued by the Chief Medical Officer. **Note:** If laminated card or smart card type driving licence without chip in Form 7 is issued, an additional fee of Rs. 200 will be charged.”
		Rule 11-B: Endorsement to drive vehicle in Hilly Areas Any person holding a driving licence to drive any class or description of motor vehicles who is not for the time being disqualified for holding or obtaining a driving licence to drive any other class or description of motor vehicles, may apply to any licensing authority in the State, in which he resides or carries on his business, for endorsement in the driving licence to drive vehicle in a hilly area. This application will be made online on the Sarathi portal on the specified application format by depositing the amount of fee specified at Serial 08 of the table of Rule 32 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989. A certificate of competence to drive vehicle in hilly areas will be obtained by the applicant from an accredited driving training centre or any other institution/ organization authorized by the Central or State Government to issue such certificates and shall be uploaded on the Sarathi portal along with the application. Such endorsement to drive vehicle in hilly areas shall be valid for a period of 5 years from the date of endorsement and shall be renewed for a further period of 5 years on the basis of refresher training certificate

http://shasanadesh.up.gov.in

		issued by the Centre/Institute/Institute mentioned in this rule. Note: If laminated card or smart card type driving licence without chip in Form 7 is issued, an additional fee of Rs. 200 will be charged.
Amendment of rule 51	4. In the said rules, in the proviso to sub-rule (2) of rule 51,- (a) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:- "**(iii)-a. Retention of Registration Number-**(One) If the owner of a vehicle wishes to retain the registration number of his old vehicle for the purpose of porting it to his new vehicle of the same category, then he will apply as per the application process specified on the VAHAN portal. (Two) On such application, the registering authority shall cancel the registration of the old vehicle while retaining the registration number of the old vehicle in favour of the owner of the vehicle and will issue a retention certificate in Form SR 18-A to the vehicle owner for retaining the registration number of the old vehicle. (Three) The retention certificate shall be valid for a period of one year from the date of issue. In the case of the expiry of the retention certificate, the permission to port the registration number of the old vehicle to the new vehicle will expire. In such a case, the registration number of the old vehicle mentioned in the retention certificate will also be cancelled by the registering authority."	
	(b) for the existing clause (iv) set out in Column-1 below, the following clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	

Column-1	**Column-2**
(Existing clause)	***(Clause as hereby substituted)***

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td></td><td>(iv) It shall be the duty of such Registering Authority to keep and maintain the records of both vehicles.</td><td>(iv) It shall be the duty of such Registering Authority to maintain the records of vehicles ported/retained.</td></tr></table>
(c) in clause (vii), after sub-clause (b) to the Explanation, the following sub-clause shall be inserted, namely:-
“(c) For the purposes of this rule, "old vehicle" means a vehicle registered in Uttar Pradesh and "new vehicle" means a newly purchased vehicle.”</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 84</td><td>5. In the said rules, after rule 84, the following rule shall be inserted, namely:-
<table><tr><td>“Notice of Non-Use of Permit</td><td>84-A. (1) If a permit holder intends not to use his vehicle for any period within the period of validity of the permit, he shall furnish the application in Form SR-32-A along with the fee prescribed in rule 125, to the appropriate Transport Authority by which the permit was issued.
(2) The applicant shall apply online on the VAHAN Portal for non-use of the permit for the period applied for, mentioning the reason.
(3) The period of non-use of the permit will be for a maximum period of three months in the first instance and thereafter for two periods of three months each time by applying online on the VAHAN portal in Form SR-32-A along with the fee specified in rule 125.”</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 125</td><td>6. In the said rules, in the Table to rule 125, after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be inserted, namely:-
<table><tr><td>“3-A</td><td>Application for intimation of Non-Use of Permit</td><td>270.00</td><td>84-A”</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Insertion of Form SR-18-A</td><td>7. In the said rules, after Form SR-18, the following Form shall be inserted, namely:-
“Form SR-18-A
[See Rule 51]
Retention Certificate for Retention of Old Vehicle Registration Number</td></tr>
</table>

	Application no ...., Date .... Old Vehicle Registration Number……............................... Vehicle Category... Make and Model... Vehicle Owner's Name... Vehicle Owner's Address... Vehicle Owner's Mobile Number………………………… The registration number of the above mentioned vehicle is hereby retained under Rule 51 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998.This Retention Certificate will be valid for a period of 01 year from the date of issue. In case of expiry of the validity of the Retention Certificate, the permission to port the registration number of the old vehicle to the new vehicle will cease. In such a case, the registration number of the old vehicle mentioned in the retention certificate will also be cancelled by the registering authority. Signature of the Registering Authority Designation Seal Place......................... Date..........................”
Insertion of Form SR-32-A	8. In the said rules, after Form SR-32, the following Form shall be inserted, namely:- **“Form SR-32-A** *(See Rule 84-A)* **Application for Intimation of Non-Use of Permit** To: The State/Regional Transport Authority …………………… I/We hereby apply for non-use of permit of vehicle no. .... covered by permit no. .... and its validity............... for the route/area ....

http://shasanadesh.up.gov.in

	Vehicle Details:- (i) Registration Mark....................................... (ii) Vehicle Category... 2. Period for Non-Use of Permit: From.............to........ 3. Reason for non-use of permit .... 4. I/We have paid the prescribed fee of Rs............. vide receipt number .... dated .... 5. I/We declare that the particulars given above are correct. Signature/Thumb Impression of Applicant(s) Date: * Strike out whichever is not applicable.”

By order,

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in